(वाद संख्या–2654/18)

19.01.2021

प्रसंगाधीन मामला, बिहार विधान परिषद्/विधान सभा के पूर्व सदस्य–सह–अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, बिहार विधान परिषद्, श्री नन्द किशोर राम के माध्यम से परिवादी, सुदर्शन राम द्वारा संस्थित गोपालपुर (पटना) थाना कांड संख्या–54/18, दिनांक–24.03.18 के अनुसंधान से संबंधित है।

उक्त के संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रसंगाधीन कांड में पुलिस द्वारा अनुसंधानोपरान्त ट्रक संख्या–बी0आर0–01जी0डी0–9791 के चालक, रामनाथ सहनी, के विरूद्ध भा0द0वि0 की धाराओं 302/377 के अन्तर्गत आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है एवं वर्त्तमान में एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के प्रत्याशा में पूरक अनुसंधान जारी है साथ–ही–साथ वर्त्तमान में प्रसंगाधीन मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि सरकारी नियमानुसार पीड़ित अनुसूचित जाति के सदस्य को मुआवजा देने हेतु प्रस्ताव भेजा गया था जो जाति प्रमाण–पत्र के अभाव में वापस लौट आया है। इस संबंध में संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा कई बार परिवादी से जाति प्रमाण–पत्र समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया है लेकिन अभी तक परिवादी द्वारा जाति प्रमाण–पत्र संबंधित थाना में समर्पित नहीं किया गया है।

अब, जबकि किसी आपराधिक मामला में पुलिस द्वारा अनुसंधानोपरान्त आरोप पत्र समर्पित कर दिया जाता है तथा मामला एक सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग द्वारा उक्त के संबंध में कोई निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त परिस्थिति में राज्य आयोग में लंबित प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त करते हुए कार्यालय को यह निर्देश दिया जाता है कि आज पारित आदेश से परिवादी को अवगत करा दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक